112
संख्याः /XXVI/तीन(02)/2019

1909
2/9/21

प्रेषक

मेजर योगेन्द्र यादव
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 2 सितम्बर, 2021

विषय– जनपद स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति में नामित उपाध्यक्ष व सदस्यों को पद मुक्त हेतु मार्ग दर्शन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–10/बी0सू0का0 (मा0उपा0)2020–21, दिनांक 01.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में नामित उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पद मुक्त किये जाने हेतु मार्ग दर्शन चाहा गया था।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन अनुभाग–2 के आदेश संख्या–34/XXVI/तीन (02)/2019, दिनांक 14.02.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** के कम में सम्यक विचारोपरांत यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय हुआ है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

DD(Ak...)

3/9

उत्तराखण्ड सरकार
अर्थ एवं संख्या, निदेशालय
(बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान)
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,देहरादून

पत्रांकः– 20 /बीसूका(समिति)/2004/2018–19
दिनांकः मई, 26 2021

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न पत्र संख्या–273/14/1/9/XXI/2018 T.C IV दिनांक 02 अप्रैल, 2021 द्वारा विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में नामित/नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्री स्तर/राज्य मंत्री स्तर/अन्य महानुभाव स्तर/सदस्य तथा अन्य (संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभावों को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संबंध में नियोजन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–101/XXVI/तीन(06)2012TC दिनांक 13 अप्रैल, 2021 द्वारा अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नामित गैर सरकारी महानुभावों को पद मुक्त किए जाने की सूचना से अवगत कराते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

उक्त संबंध में राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति में दिनांक 07 दिसम्बर 2020 से कार्यरत श्री शेर सिंह गढ़िया को शासन के उक्त आदेशों के अनुपालन में पद मुक्त के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–11/मा0उ0पा0/बी0सू0का0/2019–20 दिनांक 29 अप्रैल 2021 से अवगत कराया जा चुका है।

यह आदेश गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग से जारी कार्यालय ज्ञाप की तिथि से लागू होंगे।

(सुशील कुमार)
निदेशक/विभागाध्यक्ष

पत्रांकः– 20 /बीसूका(समिति)/2004/2020–21 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. श्री शेर सिंह गढ़िया, मा० उपाध्यक्ष, कैबिनेट स्तर (वर्तमान में पद मुक्त) राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त कुमांयू/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
9. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, स्थापना/आहरण वितरण अधिकारी, अर्थ एवं संख्या, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उत्तराखण्ड।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
14. कार्यालय प्रति।

o/c

निदेशक/विभागाध्यक्ष।

संख्या: 101 /XXVI/तीन(06)2012TC

प्रेषक,

डॉ० हरबंस सिंह चुघ

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष

अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम

उत्तराखण्ड देहरादून।

233

15/4/21

29.4.2021

नियोजन अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 13 अप्रैल, 2021**

विषयः विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में नामित/नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्री स्तर/राज्यमंत्री स्तर/अन्य महानुभाव स्तर/सदस्य तथा अन्य (संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर) को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–273/14/1/9/XXI/2018 T.C IV दिनांक 02 अप्रैल, 2021 द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2017 से वर्तमान तक मंत्रिपरिषद विभाग पूर्व नाम गोपन(मंत्रिपरिषद) विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों से, विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में नामित/नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्री स्तर/राज्यमंत्री स्तर/अन्य महानुभाव स्तर/सदस्य तथा अन्य **(संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर)** को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।**(सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न)**।

2. उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चत करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से सभी संबंधितों एवं शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० हरबंस सिंह चुघ)

सचिव।

534

सं0 मा0 : 101 / XXVI / 2021

उत्तराखण्ड शासन

गोपन (मंत्रिपरिषद)अनुभाग

संख्या :-273 /14/1/9/XXI/2018 T.C IV

देहरादून : दिनांक 02 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा **दिनांक 18 मार्च, 2017 से वर्तमान तक** मंत्रिपरिषद विभाग पूर्व नाम गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग द्वारा विभिन्न आदेशों से, विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में नामित/नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्रीस्तर/राज्यमंत्री स्तर/अन्य महानुभाव स्तर/सदस्य तथा अन्य **(संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर)** को तात्कालिक प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।

Omprakash 02.04.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्या :-273/(1)/14/1/9/XXI/2018 T.C IV तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव-समस्त मा. मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों इत्यादि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं अन्य पदों पर नियुक्त/नामित गैर सरकारी महानुभावों यथा मंत्रीस्तर/राज्यमंत्री स्तर/अन्य महानुभाव स्तर/सदस्य आदि तथा अन्य **(संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि हेतु नियुक्त महानुभाव को छोड़कर)** के संबंध में दो दिन के भीतर तदनुसार कार्यवाही करते हुए मंत्रिपरिषद विभाग एवं संबंधित महानुभाव को सूचित करना सुनिश्चित करें।
6. सचिव (प्रभारी)/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।